न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 174/2023

1 रामूराम पुत्र महादेव
2 हरि उर्फ हरीशंकर पुत्र जगदीश
3 शंकरलाल पुत्र जगदीश
4 श्रवण पुत्र जगदीश
5 धारा उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र जगदीश
समस्त जाति जाट निवासी मोहल्ला चौधरी तन अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना।

अपीलांट

बनाम

1 सरदार सिंह (मृत)
1/1 मोनी पुत्र स्व. सरदार सिंह
1/2 अनिल पुत्र स्व. सरदार सिंह
1/3 जितेन्द्र पुत्र स्व. सरदार सिंह
1/4 सुनिता पुत्री स्व. सरदार सिंह
1/5 सुशीला पुत्री स्व. सरदार सिंह
1/6 मिन्टू पुत्री स्व. सरदार सिंह
1/7 कमला देवी पत्नी स्व. सरदार सिंह
2 सुल्तान सिह पुत्र मुरलीराम
3 गोपाल सिंह पुत्र मुरलीराम
4 बाबुसिंह पुत्र मुरलीराम
5 राकेश सिंह पुत्र मुरलीराम
6 मन्नी बेवा जगदीश (फोत)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

6/1 सन्तो । देवी पुत्री जगदीश
6/2 मीरा देवी पुत्री जगदीश
समस्त जाति जाट निवासी मोहल्ला चौधरी अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज.)।
7 पटवारी हल्का अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज.)।
8 तहसीलदार महोदय श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज.)।
9 उप पंजीयक श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज.)।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.2023
न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर
जिला नीमकाथाना बसिलसिले दावा अनुवानी रामूराम
आदि बनाम सरदार सिंह वगैरह दावा संख्या 752/2017
जीसीएमएस 1183/2017 अपील अन्तर्गत
धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री महेन्द्र सिंह सुण्डा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः—11.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 752/2017 में पारित निर्णय दिनांक 29.09.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने ग्राम अजीतगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 2099 व 2101 का खातेदार काश्तकार घोषित कर स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से आदेश 07 नियम 11 का आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने जवाब प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्टान द्वारा प्रस्तुत दावे का जवाब दावा प्रस्तुत होने के बाद भी तनकीयात कायम किए बिना व दोनों पक्षों की साक्ष्य लिये बिना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के सर्वथा गलत व आधारहीन आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी जो कतई चलने योग्य नहीं था। भूमि खसरा नम्बर 2099 व 2101 गत खसरा नम्बर 976/2 से ही बना हुआ है जिसकी पुष्टि नकल मिलान क्षेत्रफल से बखुबी साबित है फिर भी योग्य विचारण न्यायालय ने उक्त भूमि को भूमि खसरा नम्बर 975 से बनास हुआ मानकर व उक्त खसरा नम्बर के सम्बन्ध में अपीलान्टान को कोई वाद कारण पैदा न होना मानकर अपीलान्टान का दावा खारिज करने में कानुनी गलती की है। विचारण न्यायालय ने खसरा नम्बर 2099 व 2101, 2102, 2103 व 2098 का गत खसरा नम्बर 975 होना मानने में कानूनी गलती की है व इसी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

को आधार बनाकर अपीलान्टान/वादीगण को कोई वादकारण न होना मानकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के आवेदन को स्वीकार करके अपीलान्टान के दावे को खारिज करने में कानूनी गलती की है। वादीगण ने अपने दावे के पैरा संख्या 9 में वाद कारण का स्पष्ट उल्लेख किया है व वादग्रस्त खसरा नम्बर 2099 व 2101, 2102, 2103 व 2098 को गत खसरा नम्बर 976/2 से बनना रिकार्ड से साबित है व उक्त खसरा नम्बर गत खसरा नम्बर 975 से बनना रिकार्ड से कतई साबित नहीं होते हुये भी विचारण न्यायालय ने रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही अपना निर्णय जेर अपील कतई गलत पारित किया है। खसरा नम्बर 2099 व 2100, 2101, 2105, 2110 को गत खसरा नम्बर 975 से बनना विचारण न्यायालय के बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के मान्य किया है जबकि इस सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उपरोक्त खसरा नम्बर का गत खसरा नम्बर 975 हो बल्कि खसरा मिलान क्षेत्रफल से यह भलीभांति साबित है कि उपरोक्त खसरा नम्बर का गत खसरा नम्बर 976/2 था व इसके सम्बन्ध में वादीगण ने अपने वाद में वाद कारण का बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख किया है। दावे में वर्णित तथ्यों को वादीगण अपनी साक्ष्य से व दस्तावेजात से बखुबी साबित करते परन्तु विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण का जवाब दावा आने के बाद बिना तनकीयात कायम किए व दोनों पक्षों की साक्ष्य लिये बिना ही सरसरी तोर पर अपीलान्टान का दावा आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर खारिज करने में कानूनी गलती की है। अपीलान्टान विचारण न्यायालय में प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होते थे एंव उनकी और से उनके वकील ही पैरवी किया करते थे निर्णय व डिकी जैर अपील पारित होने की कोई सूचना अपीलान्ट को नही दी गई अपीलान्ट हरी दिनांक 13.12.2023 को अपनी वकील से मिलने गया व अपने मुकदमें की कार्यवाही के बारे में जानकारी चाही तो वकील अपीलान्टान ने बताया कि आपका दावा दिनांक 29.09.2023 को खारिज कर दिया गया व मैंने इसकी सूचना आपको जरिये पत्र दी थी सम्भवतः पत्र आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा। अपीलान्टान को निर्णय व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

डिक्री जेर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 13.12.2023 को हुई इसके पूर्व अपीलान्टान को निर्णय जेर अपील की कोई जानकारी नहीं हुई जानकारी के रोज से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अपीलान्टान के हितो की रक्षा के लिए व न्याय व सही निर्णय के लिए अपीलान्ट को मियाद का फायदा दिया जाना आवश्यक है जिसके लिये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रकरण में वकील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में मुख्य रूप से पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 रकबा 17 बीघा 3 बिश्वा के वरवक्त सैटलमेंट खातेदारी राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण जरिये मिसल 163/84 दिनांक 22.08.1984 के आदेश के तहत खातेदारी नवीन भूमि खसरा नम्बर 2102 से 2104 जिसमें 2103 का रकबा 4.52 बढ़ाकर गलत अंकित किये जाने से खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड वादीगण के पिता जगदीश एवं रामूराम वगैरह के नाम स्वयं करवायी गयी है। इस प्रकार नवीन भूमि खसरा नम्बर 2102 से 2014 पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 से बनना सिद्ध होने से उक्त वादपत्र में भूमि खसरा नम्बर 2099, 2101 के पुराने खसरा नम्बर 976/2 से नहीं बनकर खसरा नम्बर 975 से बनना होने से वादी को किसी भी प्रकार से वाद प्रस्तुत करने के कोई कानूनी अधिकार नहीं होना तथा ना ही इस सम्बन्ध में वादकारण पैदा नहीं होने से वादकारण के अभाव में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में वकील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में मुख्य रूप से पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 रकबा 17 बीघा 3 बिश्वा के वरवक्त सैटलमेंट खातेदारी राजस्व रिकार्ड में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नामान्तकरण जरिये मिसल 163/84 दिनांक 22.08.1984 के आदेश के तहत खातेदारी नवीन भूमि खसरा नम्बर 2102 से 2104 जिसमें 2103 का रकबा 4.52 बढ़ाकर गलत अंकित किये जाने से खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड वादीगण के पिता जगदीश एवं रामूराम वगैरह के नाम स्वयं करवायी गयी है। इस प्रकार नवीन भूमि खसरा नम्बर 2102 से 2014 पुराने भूमि खसरा नम्बर 976/2 से बनना सिद्ध होने से उक्त वादपत्र में भूमि खसरा नम्बर 2099, 2101 के पुराने खसरा नम्बर 976/2 से नहीं बनकर खसरा नम्बर 975 से बनना होने से वादी को किसी भी प्रकार से वाद प्रस्तुत करने के कोई कानूनी अधिकार नहीं होना तथा ना ही इस सम्बन्ध में वादकारण पैदा नहीं होने से वादकारण के अभाव में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर